# उर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति

UBKS

पंजीयन क. – 31610

कार्या0 – जेलपारा नराईबोध तह. कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. 495454


कमांक UBKKS/2020/78 दिनांक 11/06/20

प्रति ,

निदेशक महोदय (लोक शिकायत )
प्राशसनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
सरदार पटेल भवन , संसद मार्ग नई दिल्ली –110001

विषय– साउथ इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में निदेशक तकनीकी एवं संचालक के पद पर पदस्थ श्री रविन्द्र कुमार निगम के द्वारा पद का दुरूपयोग कर निजी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने बाबत्

संदर्भ– 1. मुख्यालय –एस.ई.सी .एल का प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र
2. मिनट्स आफ मिटिंग (एफ.डी) एस.ई.सी .एल दिनांक 30.05.2018
3. NIT No. SECL /BSP/CMC/e-Tender/402 दिनांक 26.05.2020.

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित विषयान्गर्त निवेदन है, कि जिला–कोरबा छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड कि विभिन्न खदाने संचालित है। उपरोक्त प्रक्रिया में जमीन अधिग्रहण किये जाने से हमारे हजारों किसान भू–विस्थापित होते हैं। कम्पनी कि वर्तमान में स्थापित पुनर्वास एवं पुर्नव्यवास्थापन नीति में मात्र 20% भू विस्थापितों को ही सीधे रोजगार प्राप्त होता है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए कम्पनी के फंक्शन डायरेक्टर्स ने सीधे रोजगार से वंचित भू–विस्थापितों को सोसायटी के माध्यम से कोल टांसापोर्टिग के कुल काम में 20% काम ( Anne–1) देने का निर्णय लिया गया |

Scanned with CamScanner

साउथ इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अधीन एक नई कोयला परियोजना –सरईपाली खुली कोयला खदान की उत्पादन प्रकिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है जिसके तहत कोल टांसपोर्टिंग हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इस कोयला खदान से जमीन देने वाले लगभग 1161 खातेदार प्रभावित हो रहे हैं प्रबंधक द्वारा कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 के तहत कुल 321 खातेदारों को नियमित रोजगार दिया जाना तय किया गया है। इस प्रकार के कुल 1161 खातेदारों में से लगभग 840 खातेदारों को नियमित रोजगार से वंचित किया जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए प्रबंधक सन् 2018 में तत्कालीन फंक्शन डायरेक्टर्स ( FD सदस्यों ) के द्वारा निर्णय लिया गया था कि सरईपाली खुली कोयला खदान परियोजना में कोयला लदान एवं परिवहन (coal loading and transporting) के कुल ठेका कार्य में से 20% कार्य को SOR रेट में परियोजना से नियमित रोजगार से वंचित होने वाले परिवारों को सहकारी समिति ( co-operative society) के माध्यम से कराया जाएगा।

लेकिन सन् 2018 के बाद जैसे ही श्री रविन्द्र कुमार निगम की डायरेक्टर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग के रूप में साउथ इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में हुई , उन्होंने तत्कालीन फंक्शन डायरेक्टर्स के निर्णय को किनारे करना शुरू दिया, हमारे समिति के पदाधिकारियों द्वारा कई बार इस मामले पर चर्चा किया गया लेकिन श्री रविन्द्र कुमार निगम द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किया गया और इय निर्णय को भूल जाने की बात कही गई |

महोदय हमें शंका है कि श्री रविन्द्र कुमार निगम के हठधार्मिता और अपने चहेते प्राइवेट कंपनियों को निजी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से FD के निर्णय को लागू नहीं किया गया और सरईपाली कोयला खदान परियोजना में कोयला उत्खनन के लिए निविदा कमांक NIT No. SECL/BSP/CMC/e-Tender/402 दिनांक 26.05.2020 के माध्यम से ऑनलाइन ई टेंडर जारी कर दिया गया है।

महोदय अगर वर्तमान में जारी इ टेंडर में FD में लिए गए निर्णय अनुसार 20% कार्य को परियोजना को परियोजना से प्रभावित एवं रोजगार से वंचित होने वाले प्रभावित परिवारों

Scanned with CamScanner

के द्वारा बनाई गई CO-Operative society के माध्यम से कराया जाएगा तो सैकड़ों प्रभावित के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध हो जाएगा |

अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे अधिकारी जो अपने निजी स्वार्थ के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के अधिकार का हनन करे उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही व उनके चल व अचल सम्पत्ति की भी जांच कराने का कष्ट करें ।

धन्यवाद

अध्यक्ष

सपूरन कुलदीप

प्रतिलिपिः-

1. मुख्य सर्तकता आयुक्त केंन्द्रीय सर्तकता आयोग ,नई दिल्ली

2 .सचिव, कोयला मंत्रालय ,नई दिल्ली

Scanned with CamScanner